



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय

परिवहन मार्ग, जयपुर 302001

क्रमांक:-एफ5/मुख्या./26/255

दिनांक:- 06.07.26

परिपत्र

निगम की बसों में आग लगने की दुर्घटनाओं के मद्देनजर तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने एवं यात्रियों, चालक दल तथा निगम सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किए जाते हैं, जिनकी समस्त आगारों, कार्यशालाओं एवं केन्द्रीय कार्यशालाओं द्वारा अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित की जाए

1. प्रत्येक बस का Electrical Safety Inspection निर्धारित Preventive Maintenance Schedule के अनुसार अनिवार्य रूप से किया जाए तथा निरीक्षण का रिकॉर्ड संधारित किया जाए।
2. Battery Terminals, Cables, Starter, Alternator, Fuse Box, Relay, Wiring Harness, Junction Box एवं Connectors की नियमित जांच कर Overheating, Looseness, Corrosion, Burning Marks, Insulation Damage एवं Abnormal Wear की स्थिति का परीक्षण किया जाए।
3. ढीले, कटे, घिसे अथवा क्षतिग्रस्त तारों को तत्काल बदला जाए तथा किसी भी प्रकार के Temporary Joint, Taping, Open Splicing अथवा Makeshift Repair की अनुमति नहीं होगी।
4. निर्धारित मानकों के Wiring Harness, Electrical Components, Fuse, Relay एवं Accessories का ही उपयोग किया जाए तथा निर्धारित Rating के अनुरूप सामग्री लगाई जाए।
5. Fuse एवं Relay को Bypass करना, Higher Rating Fuse लगाना तथा Sub-standard Electrical Components का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
6. अतिरिक्त Light, Mobile Charging Point, Music System, Fan अथवा अन्य Electrical Accessories सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति एवं समुचित Fuse Protection के बिना स्थापित नहीं किए जाएंगे।
7. Wiring Harness को उचित Clamp, Sleeve, Grommet, Conduit Pipe एवं Insulation Protection के साथ व्यवस्थित रूप से लगाया जाए, ताकि Vibration, Chafing, Sharp Edges, Hot Surface, Exhaust System अथवा Moving Parts के संपर्क से क्षति न पहुंचे।
8. Exhaust System, Silencer, Turbocharger एवं अन्य Hot Surfaces के समीप से गुजरने वाली Wiring Harness को Heat Resistant Sleeve, Conduit अथवा अन्य उपयुक्त Insulation Material द्वारा समुचित रूप से संरक्षित (Insulate) किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि अत्यधिक तापमान के कारण Insulation के क्षतिग्रस्त होने, Short Circuit एवं Fire Incident की संभावना को न्यूनतम किया जा सके।
9. Battery Assembly को मजबूती से Fix किया जाए तथा Battery Terminals को साफ, Tight एवं Insulated रखा जाए। Battery Terminals पर Protective Covers का उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
10. Engine Compartment, Battery Compartment एवं Electrical Equipment के आसपास Oil Soaked Cloth, Grease Waste, Paper, Plastic अथवा अन्य ज्वलनशील सामग्री का भंडारण नहीं किया जाएगा।

11. प्रत्येक बस में कम से कम 02 संख्या में Serviceable ABC Type Fire Extinguishers उपलब्ध रहें तथा उनकी Validity, Pressure-Gauge एवं Refilling की समय-समय पर जांच सुनिश्चित की जाए।
12. Drivers, Conductors एवं Maintenance Staff को Electrical Hazards की पहचान, Fire Extinguisher के उपयोग एवं Electrical Fire की स्थिति में अपनाई जाने वाली Emergency Procedure का नियमित प्रशिक्षण दिया जाए।
13. संचालन के दौरान जलने की गंध, धुआं, Sparking, Fuse बार-बार उड़ना, Head Lamps का Flickering अथवा अन्य Abnormal Electrical Activity पाए जाने पर बस को तत्काल सुरक्षित स्थान पर रोककर Battery Master Switch अथवा Electrical Supply को Isolate किया जाए तथा अधिकृत Maintenance Staff द्वारा निरीक्षण किए बिना बस का पुनः संचालन नहीं किया जाए।
14. जिन बसों में बार-बार Electrical Faults उत्पन्न हो रहे हों, उनकी Complete Wiring Harness, Junction Boxes एवं Associated Electrical System की विस्तृत जांच कर आवश्यकतानुसार Harness Replacement किया जाए।
15. 08 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु की बसों तथा बार-बार Electrical Complaints वाली बसों की विशेष जांच नियमित रूप से करवाई जाए।

उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित मुख्य प्रबन्धक एवं प्रबन्धक (संचालन) की होगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा निर्देशों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों/कार्मिकों की उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

समस्त संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परिपत्र की प्रति प्रत्येक कार्यशाला, निरीक्षण पिट एवं चालक/परिचालक विश्राम कक्ष में प्रदर्शित की जाए तथा इसकी शत-प्रतिशत अनुपालना सुनिश्चित की जाए। उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(पंकज वर्मा)
कार्यकारी निदेशक (यांत्रिक)

क्रमांक:-एफ5/मुख्या./26/255

दिनांक:- 06.07.26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. स्टाफ ऑफिसर, अध्यक्ष महोदय, रारापपनि, मुख्यालय जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक महोदय, रारापपनि, मुख्यालय जयपुर।
3. निजी सचिव, कार्यकारी निदेशक (प्रशा./याता./यांत्रिक), रारापपनि, मुख्यालय जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक (प्रशा./I.T.), रारापपनि, मुख्यालय जयपुर।
5. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक, रारापपनिगम, केन्द्रीय कार्यशाला (जयपुर/अजमेर/जोधपुर)।
6. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (संचालन), रारापपनिआमार।
7. निजी/आदेश पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (यांत्रिक)

I.T./881
08/07/26

revised